सं0 सं0 – 2/रा0 स्था0–36/14 /रा0,

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

::अधिसूचना::

राँची, दिनांक–

संख्या–2/रा0, स्था0–36/14 /रा., उपायुक्त, बोकारो के पत्रांक–75, दिनांक–06.03.19 के आलोक में श्री जेम्स सुरीन, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चास (बोकारो) को उनके विभागीय कार्यों के अतिरिक्त विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी, बोकारो के रूप में कार्य करने हेतु भू–अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ("The Right to Fair Compensation and Transparency in Law Acquisition Rehabilitation and Resettlement Act.-2013") की धारा 11, 13, 16, 17, 19 (2), 26, 40 तथा 81 को छोड़कर भू–अर्जन कार्यों के निष्पादन हेतु समाहर्त्ता की शक्ति प्रदत्त की जाती है। पूर्व की प्रक्रियान्तर्गत भू–अर्जन कार्यों के संपादन हेतु जिला भू–अर्जन पदाधिकारी को भू–अर्जन अधिनियम, 1894 यथा संशोधित 1984 की धारा–4, 5 ए, 6 एवं 35 को छोड़कर समाहर्त्ता की शक्ति प्रदत्त की जाती है।

शक्ति प्रदत्त पदाधिकारी जिला के समाहर्त्ता तथा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के निदेशों के आलोक में अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे।

उनके वर्तमान पदस्थापन अवधि तक के लिए अथवा नियमित पदाधिकारी के पदस्थापन एवं प्रभार–ग्रहण तक (जो भी पहले हो) के लिए शक्ति प्रदत्त करते हैं।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–

(राम कुमार सिन्हा)

सरकार के संयुक्त सचिव

सं0– 2/रा0, स्था0–36/14 /रा., राँची, दिनांक–

प्रतिलिपि :–नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–

सरकार के संयुक्त सचिव

सं0–2/रा0, स्था0–36/14 /रा., राँची, दिनांक–

प्रतिलिपि :–महालेखाकार (ले.एवं हक.) झारखण्ड, डोरंडा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के संयुक्त सचिव

सं0–2/रा0, स्था0–36/14 1119 **/रा.,** राँची, दिनांक– 26-03-19

प्रतिलिपि :–माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/ माननीय विभागीय मंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी/ उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड/ अपर मुख्य सचिव, योजना सह वित्त विभाग/ अपर मुख्य सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची/निदेशक, भू–अर्जन सह भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, झारखण्ड, राँची/प्रमण्डलीय आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग/उपायुक्त, बोकारो/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड तथा संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25.3.19

सरकार के संयुक्त सचिव

sec2/adhisuchna/DLAO (5-11-15)(lalit)

25/3/19